

पूर्व निपट कार्यावाही दि० 28/4/17 को

रव

प्राथी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक
अदालत में रफ्तार करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत में रफ्तार किया
जाता है। पक्षकारान दिनांक 27-6-17 को
लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

ह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

28/4/17

27/6/17 वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित होकर
अर्पण फा की आदेशिका पर नोटिस देस करि कर किया
प्राथी ने कोई एतराज नही किया अह अर्पण फा पर
कार्यवाही नोटिस देस शेप की जाती है। मितल फेसल
शुमार होकर नम्बर न करे है।

ह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Mohammed

28/4/17

27/6/17

राजगोपाल

